न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दा0प्र0क0-216 / 15</u> संस्था0दि0 06 / 05 / 15

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध:-

- 1. रामकृष्णा पिता मोतीलाल, उम्र 26 वर्ष,
- 2. सुशीलाबाई पति मोतीलाल, उम्र 50 वर्ष,
- गीता पिता मोतीलाल, उम्र 30 वर्ष तीनों सभी:—जाति बसोड़, नि० टण्डन केम्प बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

<u>—: **निर्णय**:—</u> (आज दिनांक 13 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत् दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि आपने विवाह के 6 महीने बाद से लगातार 08/02/15 तक फरियादी का शासकीय क्वार्टर नं. 132/2 टंडन केम्प आमला, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत श्रीमित लक्ष्मी, जो कि आप अभियुक्त की बहू, उसके पुत्र की पत्नि, उसके पुत्री गीता की भाभी है, उसके साथ कुरता की, आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से उसके नाम से बैंक लोन उठाकर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।
- 2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 13/07/16 को अभियुक्तगण और फरियादी श्रीमित लक्ष्मीबाई के बीच मधुर संबंध हो जाने से धारा 320—2 एवं आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। भा०द०वि० की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग—2 राजीनामा योग्य अपराध होने से अभियुक्तगण को भा०द०वि० की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी एयर फोर्स आमला में चपरासी के पद पर कार्यरत है। उसके पिता की मृत्यु होने पर उसको अनुकम्पा नियुक्ति से चपरासी की नौकरी मिली है उसके द्वारा दिनांक 22/01/2009 को रामिकशन पिता मोतीलाल बसोड नि0 टंडन केम्प क्वाटर नं. 132/4 आमला से आर्य समाज मंदिर बैतूल से विवाह किया था। विवाह के बाद से उसके पित रामिकशन ससुर मोतीलाल, सास सुशीला तथा नंद गीता द्वारा 6 माह तक उसे अच्छे से रखा जिसके बाद उसकी सास,

सस्र एवं नंद द्वारा उसके पति को उकसा दिया कि उसने इस गोंडन से शादी कर उसे दहेज में क्या मिला। उसकी सास ससूर की बातों में आकर उसके पति द्वारा उसके उपर दबाव बनाकर उसके नाम से उसके बैंक लोन उठवाकर वेन स्वयं के नाम पर खरीदी तथा एक मोटर साईकिल उसके वेतन के पैसों से खरीदी, जो उनके माता पिता के कहने में आकर शराब पीकर मारपीट करता चला आ रहा है। उसे जेवर भी छुडाकर गिरवी रख दिये है। उसकी एक बेटी दिप्ती है जिसकी उम्र 5 वर्ष है। दिनांक 02/02/15 को वह डयूटी से पांच बजे वापस आयी तो बिना किसी कारण उसका पति शराब पीकर आया और उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट कर गला दबाकर मारपीट कर जान से मार डालने को कहां गया। उसकी सास सुशीला व गीता द्वारा उसे उसके पति से मार डालने को बोला गया था। वह किसी तरह जान बचाकर उसके दादाजी झामसिंह निवासी झिरीखापा के पास गयी। जिनको घटना की बात बतायी। उसके द्वारा बैतूल आकर आवेदन पत्र दिया गया था। जिसका नोटिस उसके पति को मिलने पर दिनांक 03/02/15 को शाम करीब 6 बजे उसके पति रामकिशन सस्र मोतीलाल सास स्शीला तथा ननंद गीता बसोड़ द्वारा तूने शिकायत क्यों की उसकें गंदी-गंदी गालियां देते हुये उसके साथ उसके ससुर मोतीलाल द्वारा बांस के डंडे से मारपीट की जिससे उसके दांहिने पैर की पिंडली में चोट लगी होकर सूजन है। उसकी सास एवं नंद द्वारा उसे गंदी-गंदी गालियां देकर मानसिक रूप से प्रताडित किया गया तथा उसके पति द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जाकर घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। वह उसके पति एवं सास, ससूर, ननंद की मारपीट एवं प्रताडना से तंग आ चुकी है अब वह उसे पित के साथ नहीं रहना चाहती है। रिपोर्ट करती हॅ कार्यवाही की जावे।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 तैयार किया गया जो चार पृष्ठों में है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध कमांक 66/15 के अंतर्गत भा.द.सं की धारा 498 'ए', 294, 323/34, 506 भाग—2 एवं दहेज प्रतिषेध अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 15/02/15 को नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 17/02/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 तैयार किया गया। साक्षियों को कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विपरित परिस्थितियाँ निर्मित नहीं होने से उनका अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— ''क्या आपने विवाह के 6 महीने बाद से लगातार 08/02/15 तक फरियादी का शासकीय क्वार्टर नं. 132/2 टंडन केम्प आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमित लक्ष्मी, जो कि आप अभियुक्त की बहू, उसके पुत्र की पितन, उसके पुत्री गीता की भाभी है, उसके साथ क़ुरता की।

2— " क्या आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से उसके नाम से बैंक लोन उठाकर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?"

-: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका विवाह आरोपी रामकृष्ण के साथ वर्ष 2009 में आर्य समाज बैतूल से अंतरजातीय हुआ था। शादी के बाद वह उसके ससूराल से अलग सरकारी क्वाटर आमला में रहने लगी थी। वह और उसके पति अलग रहते है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व उसके पति रामकृष्ण ने उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट किया था। जिससे उसके दांये पैर पर चोटे आई थी। उसने घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक बैतूल को की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 दर्ज की थी जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका डाक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0 3 तैयार की थी जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे शादी की फोटो एवं प्रमाण पत्र जप्त की थी। जिसका जप्ती पत्रक प्र0पी० 4 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। उसका पति उसे लगातार प्रताडित नहीं करता था। अन्य आरोपीगण भी उसे प्रताडित नहीं करते थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि पति ने एक ही बार मारपीट की थी। दहेज की बात को लेकर उसे किसी भी आरोपी ने प्रताडित नहीं किया था। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि शादी के 6 माह बाद से ही उसके सास, ससूर एवं नंद उसके पति को उकसाते थे कि उसे गोंडनी से शादी से क्या मिला अच्छी जगह शादी करता तो खुब दहेज मिलता, कहकर सभी आरोपी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे।

8— आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके पित ने उस पर दबाव डालकर मोटर साईकिल उससे खरीदवाई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसका पित शराब पीकर आता था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसके ससुर मोतीलाल ने उसके साथ मारपीट की थी एवं सास एवं नंद ने गंदी—गंदी गालियाँ दी थी और प्रताड़ित किया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं सी से सी भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 5 का ए से ए एवं बी से बी भाग का बयान पुलिस को दी थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका उसके पित से राजीनामा हो गया है और वह उन्हीं के साथ अच्छे से रही है। आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि उसने गुरसे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और आरोपीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती। यह गवाह स्वयं फरियादी है और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्नों से भाठदंठिवठ की धारा 498 ''ए'' एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी झामसिंह (अ०सा०२) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने श्रीमित लक्ष्मी, जो कि आप अभियुक्त की बहू, उसके पुत्र की पत्नि, उसके पुत्री गीता की भाभी है, उसके साथ कुरता की। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से उसके नाम से बैंक लोन उठाकर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी श्रीमित लक्ष्मी, जो कि आप अभियुक्त की बहू, उसके पुत्र की पितन, उसके पुत्री गीता की भाभी है, उसके साथ कुरता की। और युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्य क्ष या परोक्षतः रूप से उसके नाम से बैंक लोन उठाकर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण रामकृष्ण, सुशीलाबाई, गीताबाई को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है तथा धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा फोटो एवं विवाह से संबंधित दस्तावेज नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0